

NALANDA COLLEGE

नालन्दा कॉलेज

(A Constituent unit of Patliputra University,
Patna)
DEPARTMENT OF EDUCATION



Presenter:-
Pinki Kumari, Asst professor,
Dept Of Education

BCC 10 : Creating An Inclusive School

B.Ed Second Year

Unit 3 :Policies and Acts Implementing Inclusive Education

- * Rehabilitation Council of India
- * Persons with Disabilities Act 1995 (Equal opportunities, Protection of Right and Full participation)
- * New Policies for Persons with Disability 2012
- * Right to Education (2009)



Right To Education Act 2009

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

- * 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ।
- * 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 21 क जोड़ा गया ।
- * 4 अगस्त 2009 में संसद द्वारा पारित ।
- * 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू हो गया।
- * जिससे 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना मौलिक अधिकार बन गया ।



निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:-

1. प्रत्येक बच्चे का उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए।
2. बच्चे को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा अनुदान की राशि मांगने पर भारी दंड का प्रावधान है।
3. विकलांग बच्चे भी मुख्यधारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
4. किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में (फेल करके) नहीं रोका जाएगा और 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जाएगा।
5. स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्र में रहेगी ।



-
6. कोई भी शिक्षक / शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधियां नहीं चलाएगा/चलाएगी।
 7. स्कूलों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।
 8. किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा।
 9. इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत , तहसील स्तर पर तहसील , जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था है।



शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं :-

- ❖ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बालक का अधिकार होगा
- ❖ प्रवेश न दिए गए बालको या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है , के लिए विशेष उपबंध
- ❖ अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार
- ❖ राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य
- ❖ वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्यों में हिस्सा बाँटना
- ❖ राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य
- ❖ माता-पिता और संरक्षक का कर्तव्य
- ❖ राज्य सरकारों का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना



-
- ❖ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालयों के दायित्व की सीमा
 - ❖ प्रवेश के लिए आयु का सबूत
 - ❖ प्रवेश से इंकार ना करना
 - ❖ रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध
 - ❖ बालकों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध
 - ❖ विद्यालय के मान , मानक और मान्यता
 - ❖ विद्यालय प्रबंधन समिति
 - ❖ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ और सेवा के निबंधन और शर्तें



शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

विकलांग बालकों के लिए इस अधिनियम के तहत विशेष व्यवस्था

- ❖ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 3 में विकलांग बालकों के बारे में कहा गया है।
- ❖ इसमें निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के बातों को समाहित किया गया है।
- ❖ विशिष्ट बालकों को 18 वर्ष की आयु तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।



Thank you